ISSN 2348-3857

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में योगदान

डॉ. सरोज राय

सहायक आचार्य

शिक्षा विभाग, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनूं, नागौर (राजस्थान)

शोध सारांश

महिला सशक्तिकरण की बहुआयामी अवधारणा जो नारियों की सभी प्रकार की क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देती है। इसी दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं में चेतना जगाने तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की स्त्री शिक्षा विशेष तरीका है। महिलाओं का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य समाज एवं राष्ट्र के लिए सदा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए महिलाओं को ऊर्जावान, शक्तिवान तथा क्षमतावान बनाये जाने की जरूरत है। इन प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि महिला देश की रचनात्मक शक्ति होती है और उनकी आत्म शक्ति की दुर्बलता या मजबूती चाहे जैसा मोड़ दे सकती है। अत: महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने में शिक्षा एक शस्त्र के रूप में नव चेतना का संचार कर रही है। महिला समाज एवं परिवार की नींव है- इसे सुदृढ़ करना हम सभी का कर्तव्य है। इस दृष्टि से शिक्षा सशक्त साधन है। इसलिए महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास जारी रखे जायें तभी सफलता मिलेगी और उन्हें वैश्वीकरण का लाभ भी प्राप्त होगा।

संकेताक्षर : *बहुआयामी, शैक्षणिक विकास, महिला सशक्तिकरण*

महिला सशक्तिकरण के अनेक अर्थ है, और यह विविधतापूर्ण युक्तियों से जुड़ा होता है। इस शब्द का प्रचलन 1970 के दशक से माना जाता है। प्राय: इसका प्रयोता विभिन्न संगठनों द्वारा प्रत्येक महिला के उत्पादकता स्तर एवं रुचि की वृद्धि हेतु केन्द्रित किया तथा इसका भाग महिला मुद्दों पर ही केन्द्रित है।

यद्यपि 1970 के दशक में जब पहली बार महिला संगठनों जैसी संकल्पना की मांग की गयी, उस समय स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक न्याय तथा महिला समानता के जरिए आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक संरचना में परिवर्तन के लिए रूपरेखा बनाई गयी।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की मूल संकल्पना की प्रारम्भिक सैद्धान्तिक रूपरेखा हुई वह पुरुष तथा महिलाओं के बीच असमानता, परिवार समुदाय, बाजार एवं राज्यों में उनके सहयोग के अध्ययन से सम्बन्धित थी। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम में उनके देश की स्थिति के सन्दर्भ में महिला उत्पीड़न के विभिन्न रूपों को भी उद्घाटित करने का विचार भी सम्मिलित था।

इतिहास से लेकर आज के आधुनिक युग तक अगर नजर डालें तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबले कम नहीं है। बदलते समय के साथ-साथ महिलाओं ने पुरुषों के समान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिस पर कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था।

जैसे- राजनीति, प्रशासनिक सेवाएं, कार्पोरेट जगत, खेल में महिलाओं ने अच्छी कार्य क्षमता और बुद्धिमता का प्रदर्शन किया है।

नारी को वेदों में अर्द्धांगिनी माना गया है। सृष्टि की रचना में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। नारी के बिना मनुष्य अधूरा है, अपूर्ण है, एकांगी है। नारी पुरुष की जरूरत है, सहायक है। संसार की नियामक है। नारी समाज व परिवार को पूर्ण करने वाला महत्वपूर्ण घटक है। नारी एक राष्ट्र की आधारशिला है।

प्राचीनकाल में महिला सदैव पूजनीय रही है। वेदों में कहा गया है- ''यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।'' प्राचीन सभ्यता व संस्कृति में नारी की स्थिति अत्यन्त गरिमामय रही है। जैसे गार्गी, विदुला, मैत्रयी आदि विदुषी नारियों ने पुरुषों को ज्ञान क्षेत्र में पीछे छोड़ दिया।

ISSN 2348-3857

भक्ति और शक्ति के क्षेत्र में, धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, शौर्य की प्रतिमा दुर्गा जी, कृष्ण भक्त मीरा, सती सावित्री, पतिव्रता-अनुसूइया इन सभी की कोई बराबरी नहीं कर सकता।

आजादी से पहले की स्थिति में भारतीय नारी ने अनेक कार्य किये हैं, जैसे-रजिया सुल्तान ने देश की बागडोर सम्भाली, नूरजहां ने शासन चलाया, माता जीजाबाई ने अपने विवेक व व्यवहार कौशल से शिवाजी का जीवन संवारा।

आजाद भारत में महिलाओं के प्रभुत्व में सरोजनी नायडू, एनीबेसेन्ट, दूसरों का जीवन संवारने वाली मदर टेरेसा, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष पर सुशोभित विजय लक्ष्मी पण्डित, राजनीति के क्षेत्र में इन्दिरा गांधी, सुचेता कृपालानी, अमृतकौर किरन वेदी, रीता फारिया, अमृताप्रीतम, सुष्मिता सेन, प्रियंका चौपड़ा आदि ने विश्व स्तर पर पहचान बनाई है।

महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है कि सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों आदि को शामिल किया जाता है। सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हें आर्थिक सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी साधनों को उपलब्ध कराया जाये ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष-महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। महिला सशक्तिकरण का आशय नारी के अपने अधिकार, सम्मान एवं योग्यता में संवर्धन की ओर अग्रसर करना है, महिलाओं को घर और बाहर दोनों ही सुरक्षित रखना है। महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें क्षितिज दिखाने का प्रयास है, जिसमें वे नयी क्षमताओं को प्राप्त कर स्वयं को नये तरीके से देखेगी। घरेलू शक्ति सम्बन्धों का बेहतर समायोजन करेगी। लैंगिक असमानता, दहेज, सामाजिक मान्यता एवं समुचित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पहलुओं की दिशा में प्रयास करके ही महिला सशक्तिकरण किया जा सकता है।

महिला सशक्तिकरण को जितना सहज ढंग से समझा जा सकता है उतना ही कठिन है उसे अवधारणात्मक रूप में परिभाषित करना। सामान्यत: जब किसी वर्ग विशेष के सशक्तिकरण की बात की जाती है, उसका अर्थ होता है कि वह वर्ग विशेष वर्तमान शक्ति विरतण के क्षेत्र में अपने को कमजोर समझते हुए, वर्तमान शक्ति सम्बन्धों के स्वरूप को चुनौती देना चाहता है और अपना नियन्त्रण बढ़ाना चाहता है। इस प्रकार सशक्तिकरण एक सापेक्षित प्रक्रिया है अर्थात् वर्तमान पुरुष प्रधान समाज में, पुरुषों के हाथों की शक्ति केन्द्रीकृत को कम करना तथा महिलाओं को शक्ति के संदर्भ में, प्रतिनिधित्व, निर्णय निर्माण प्रक्रिया सहभागिता, समुचित हिस्सेदारी प्रदान करना। 'इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि महिलाओं के पक्ष में आवश्यक सुधार कर शक्ति ढांचे को पुरुष और महिला के बीच सन्तुलित करना तथा महिलाओं को इतना शक्ति सम्पन्न बनाना कि वे समाज, राज्य, देश के संचालन में समुचित योगदान दे सकें। महिला सशक्तिकरण का अर्थ पुरुष अशक्तिकरण कभी भी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक एवं सहायक रूप में है। सशक्त महिला पुरुष की शक्ति में सहायक होती है जिससे दोनों की क्षमता का विकास हो सकता है।

महिला सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह पुरुष सम्प्रभुता के स्थान पर महिला सम्प्रभुता स्थापित करने का प्रयास नहीं है बल्कि समानता के आधार पर एक सामन्जस्यपूर्ण भागीदारी है। महिला सशक्तिकरण महिलाओं में इतनी जागरूकता लाना है कि वह शक्ति को प्राप्त करे एवं सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक संसाधनों पर नियन्त्रण प्राप्त करने की क्षमता विकसित हो सके। सशक्तिकरण का आशय सिर्फ शक्ति का अधिग्रहण ही नहीं है बल्कि इसमें शक्ति प्रयोग की क्षमता का विकास भी किया जाता है तथा समाज की मुख्यधारा में लाना तथा निर्णय लेने की क्षमता का विकास ही सशक्तिकरण है। किसी भी देश का स्वरूप वहां की नारी पर निर्भर करता है यदि वहां की महिला की स्थिति सुदृढ़ एवं सम्मानजनक है तो वह देश भी सुदृढ़ एवं मजबूत होगा।

> जैसा नेपोलियन ने कहा था- ''मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुझको एक योग्य राष्ट्र दूंगा।''
>
> गांधी जी ने कहा था- ''नारी को अबला कहना, उसका अपमान करना है, नारी स्वयं ही शक्ति स्वरूपिणी है आवश्यकता केवल उसकी शक्ति को पहचानने की है तथा सामाजिक रूप से स्वीकृत करने की।''

भारतीय महिलाएं आज हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं। आज निजी क्षेत्र की कम्पनियों में कुल वर्कफोर्स की 24.5 फीसदी महिलाओं की भागीदारी है। सार्वजनिक क्षेत्रों में ये भागीदारी तकरीबन 17.9 प्रतिशत है। कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें केवल पुरुषों का एकाधिकार था, लेकिन अब वहां महिलाएं भी अपना दखल रखती हैं। नयी पीढ़ी की महिलाएं महत्वाकांक्षी भी हैं और साहसी भी। यही वजह है कि अब कोई भी क्षेत्र महिलाओं के

लिए अछूता नहीं है। पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए प्रोफेशन फ्रंट पर भी स्वयं को साबित करने में जुटी महिलाएं पूरे मनोयोग से देश का विकास करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। 26 जनवरी 2015 के गणतन्त्र दिवस के मौके पर अतिथि बन कर आये अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने भाषण में भारतीय महिलाओं की कामयाबी और भागीदारी को रेखांकित करते हुए कहा कि- ''कोई भी देश शानदार कामयाबी हासिल कर पाता है, जब वहां की महिलाएं कामयाब होती हैं। भारतीय सेना में महिलाओं को देखना गर्व की बात है, विशेष रूप से उस महिला सैन्य अधिकारी का, जिन्होंने गार्ड ऑफ आनर का नेतृत्व किया। मंगल मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय महिला वैज्ञानिकों की वैश्विक स्तर पर खूब प्रशंसा हुई।

मौजूदा दौर के हर तरह के व्यावसायिक संगठन में महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ी है। क्योंकि व्यवहार विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की बढ़ती भूमिका का कारण उनमें मौजूद प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता का भाव है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ना जरूरी है तथा साथ ही यह आवश्यक भी है उन्हें हर क्षेत्र में सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने का अवसर मिले। देश की महिलाओं का आत्म निर्भर होना महिला सशक्तिकरण है।

शिक्षा में योगदान

आज इक्कीसवीं सदी में महिलाएं पुरुषों के साथ सरकारी तथा निजी क्षेत्र में अनेक अवसरों पर शक्ति सम्पन्नता का एहसास कराती हैं। महिलाओं को अपने अधिकार तथा दायित्वों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराये गये जिससे महिलाओं में स्वावलम्बन भावना जागृत हुई। महिलाएं समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का स्वरूप लिए राष्ट्र की विकासधारा में सम्मिलित हो गयीं। आज लाखों महिलाएं राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्यरत हैं।

शिक्षा महिला सशक्तिकरण के लिए साधन है जिससे महिला समाज में अपनी सशक्त भूमिका दर्ज करवा सकती हैं शिक्षा से शोषण रोकने में सहायता मिलेगी। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक है। शिक्षा का निर्णय लेने की क्षमता से धनात्मक एवं सार्थक सम्बनध है। शिक्षा द्वारा स्त्रियों के विभिन्न विषय जैसे- राजनीति, धर्म, समाज एवं आर्थिक एवं स्वास्थ्य जैसे-पक्षों में आने वाले परिवर्तन के बारे जानकारियां प्राप्त करने सहायता मिलती है। महिलाओं की विभिन्न भूमिकाएं माँ और गृहिणी के रूप में जिन मूल्यों और प्रतिमानों से जुड़ी हुई है उनका प्रभाव पारिवारिक विकास पर पड़ता है।

भारतीय संविधान में देश के सर्वोच्च नीति निर्धारक स्तर पर स्त्री-पुरुष समानता तथा शिक्षा को दृढ़ता से अपनाया गया है।

धारा-14 : राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को समान अधिकार।

धारा-15 : लिंग के आधार पर भेदभाव वर्जित।

धारा-39 : समान कार्य के लिए समान वेतन और जीविकोपार्जन।

धारा-5 (क) : महिलाओं के सम्मान के प्रति अशोभनीय कार्य या व्यवहारों को त्यागने का मौलिक कर्त्तव्य।

महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए किए गये योगदान

1. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) ने महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा समबन्धी सुविधाएँ दीं तथा गृह प्रबन्ध की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किए।
2. माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) - महिलाओं के लिए पृथक विद्यालय खोलने की व्यवस्था की तथा गृह विज्ञान को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाय।
3. राष्ट्रीय महिला समिति (1958-59) - महिलाओं के शिक्षा के प्रसार के लिए समिति का गठन कर कार्य किया।
4. कोठारी आयोग (1964-66) - महिलाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना।
5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) - पुरुषों के समान महिलाओं को शिक्षा अर्जित करने का अधिकार है तथा उनकी स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने मे शिक्षा के अभिकरण का प्रयोग किया जाये।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) - महिलाओं में शिक्षा के विस्तार हेतु गतिशील प्रबन्धकीय ढांचे का निर्माण किया जाये।
7. आचार्य राम मूर्ति समिति (1990) - महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन केन्द्रों की स्थापना की जाये।
8. जर्नादन रेड्डी समिति (1992) - महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति हेतु विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाये।
9. कस्तूरबा गांधी योजना (1997) - महिला साक्षरता दर में वृद्धि तथा विशेष सुविधा और प्रोत्साहन।
10. सर्वशिक्षा अभियान (2000) - बालिकाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं बनायी गयीं। जैसे - 50 प्रतिशत

महिला शिक्षकों की नियुक्ति, बालिकाओं को विद्यालय में लाने के लिए शिविर का आयोजन।

11. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (2003)- अल्पसंख्यक समुदाय में गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु विशेष छात्रवृत्ति।
12. कस्तूरबा गांधी विद्यालय (2004) - बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना।
13. महिला समाख्या कार्यक्रम - परम्परागत लैंगिक असमानता का निकारण करना।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण की बहुआयामी अवधारणा जो नारियों की सभी प्रकार की क्षमताओं को बढ़ाने पर बल देती है। इसी दिशा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं में चेतना जगाने तथा मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए स्त्री शिक्षा विशेष तरीका है। महिलाओं का अतीत, वर्तमान एवं भविष्य समाज एवं राष्ट्र के लिए सदा चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके लिए महिलाओं को ऊर्जावान, शक्तिवान तथा क्षमतावान बनाये जाने की जरूरत है। इन प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि महिला देश की रचनात्मक शक्ति होती है और उनकी आत्म शक्ति की दुर्बलता या मजबूती चाहे जैसा मोड़ दे सकती है। अत: महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने में शिक्षा एक शस्त्र के रूप में नव चेतना का संचार कर रही है। महिला समाज एवं परिवार की नींव है- इसे सुदृढ़ करना हम सभी का कर्तव्य है। इस दृष्टि से शिक्षा सशक्त साधन है। इसलिए महिलाओं के शैक्षणिक विकास के लिए महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरन्तर प्रयास जारी रखे जाये तभी सफलता मिलेगी और उन्हें वैश्वीकरण का लाभ भी प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है-

''नारी तुम शक्ति हो तुम ज्ञान हो
तुम्हीं संस्कारों की खान हो।
क्रांति की अग्रदूत, गौरव की तुम सार
नारी तुम चेतना का आहवान हो।''

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण : विमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2004
2. गुप्ता, कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति, बुक एन्क्लेव प्रकाशन, नई दिल्ली
3. भाटिया, कान्त, प्राचीन वैदिक साहित्य में नारी की स्थिति, वूमेन स्टडीज सेन्टर, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
4. राजकुमार, महिला एवं विकास, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, प्रहलाद गली, दरियागंज, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय नीति, महिला सशक्तिकरण, 2001
6. भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, जनवरी-जून, 2010
7. शिविरा, मासिक पत्रिका, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, वर्ष 54 अंक 9 मार्च, 2014